क्रमॉक 125 भोपाल दिनॉक 25.01.2009

प्रति,

मानननीय श्री शिवराजसिंहजी चौहान
मुख्यमंत्री, म. प्र. शासन, भोपाल

विषय— <u>राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं कल्याण की दिशा में तत्काल पालनार्थ बिन्दु।</u>

(01) *<u>मध्यप्रदेश की तहसीलों में कर्मचारियों की क्रीमीलेयर जॉच ''वेतन की आय'' से तत्काल बन्द करने बाबत्।</u>*

मध्यप्रदेश की तहसीलों में अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र जारी करते समय शासकीय व सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों की क्रीमीलेयर पहचान राज्य क्रीमीलेयर मापदंड दिनॉक 25.02.2003 व केन्द्रीय क्रीमीलेयर मापदंड दिनॉक 08.09.1993 के प्रावधानों के विपरीत ''वेतन की आय'' से की जा रही है।

4.50 लाख रुपये वार्षिक वेतन पाने वाले भृत्यों को ''क्रीमलेयर'' कहा जा रहा है। यह गड़बड़ी केन्द्रीय क्रीमीलेयर मापदंडो के अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद में हुई 35 त्रुटियों के कारण प्रारंभ हुई। इससे केन्द्रीय नौकरियों जैसे आई.ए.एस., आई.पी.एस., बैंक, रेलवे इत्यादि एवं केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों जैसे आई.आई.टी., आई.आई.एम., एन.आई.टी., एम्स इत्यादि के प्रवेश में प्राप्त 27% आरक्षण का अधिकाधिक लाभ मध्यप्रदेश के ओबीसी उम्मीदवार नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि जो उम्मीदवार कोचिंग इत्यादि लेकर ओबीसी कोटे में चयन हेतु सक्षम होते हैं उन्हें ''वेतन की आय'' के आधार पर नियमविरुध्द क्रीमीलेयर कहकर उनके जाति प्रमाण पत्र के आवेदन तहसीलों में खारिज कर दिये जाते हैं।

अतः अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र जारी करते समय शासकीय व सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों की क्रीमीलेयर जॉच ''वेतन की आय'' के स्थान पर राज्य/केन्द्रीय क्रीमीलेयर मापदंडो के नियम क्रमॉक 2 के अनुरुप ''धारित पद'' से करने के निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से तहसीलों को देने की कृपा करें।

(02) *<u>मध्यप्रदेश के शासकीय व निजी मेडिकल एवं आयुर्वेद महाविद्यालयों के प्रवेश में आरक्षण नियमों के उल्लंघन व्दारा अजा, जजा व पिछड़ा वर्ग को भारी नुकसान।</u>*

शासकीय व निजी मेडिकल एवं आयुर्वेद महाविद्यालयों के प्रवेश हेतु आयोजित पी.एम.टी., डी.एम.ए.टी., प्री.पी.जी. व पाहुट परीक्षाओं के आधार पर वर्ष 2008 में सम्पन्न काउन्सलिंग में आरक्षण नियमों का निम्नानुसार उल्लंघन किया गया है।

(1) प्राप्तांको के आधार पर अनारक्षित सीटों में चयनित अजा, जजा व पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों की गणना अनारक्षित सीटों में नहीं कर उन्हें शासकीय, न्यायालयीन निर्देशों के विपरीप आरक्षित सीटों में ही समायोजित कर क्यिा गया। जबकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश इस प्रकार हैं।

<u>DECISION OF SUPREME COURT</u> (Available www.supremecourtofindia.nic.in)
CASE NO.: Appeal (civil) 5505 of 2003, PETITIONER: Union of India & Anr RESPONDENT: Satya Prakash & Ors JUDGMENT DT. 05/04/2006----
"<u>This position has been made crystal clear in Ritesh R. Sah (supra) as referred to above that while a reserved category candidate entitled to admission on the basis of his merit, will have the option (preference) of taking admission in the college where specified number of seats have been kept reserved for reserved category but while computing the percentage of reservation he will be deemed to have been admitted as an open category candidate and not as a reserved category candidate</u>."

(2) प्रथम काउन्सलिंग से प्रवेशित अधिक प्राप्तांक वाले उम्मीदवारों को द्वितीय काउन्सलिंग में उपलब्ध बेहतर सीटें प्राप्त करने हेतु द्वितीय काउन्सलिंग में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

(3) वर्ष 1994 से 2003, 10 वर्षों तक चले काउन्सलिंग के वैध क्रम ''अनारक्षित, आरक्षित'' के स्थान पर ''आरक्षित, अनारक्षित'' क्रम में सीटों की काउन्सलिंग कराई जा रही है। जिससे अजा, जजा व अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रति वर्ष एम.बी.बी.एस. में 75, एम.डी.—एम.एस. में 20 व बी.ए.एम.एस. में 70 अतः कुल 165 उम्मीदवारों को कम प्रवेश मिल रहा है।

अतः निम्नानुसार कार्यवाही करने की कृपा करें।

(1) प्राप्तांको के आधार पर अनारक्षित सीटों में चयनित अजा, जजा व पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों की गणना अनारक्षित सीटों में ही करने की कृपा करें।

(2) प्रथम काउन्सलिंग से प्रवेशित अधिक प्राप्तांक वाले उम्मीदवारों को द्वितीय काउन्सलिंग में उपलब्ध बेहतर सीटें प्राप्त करने हेतु द्वितीय काउन्सलिंग में भी शामिल होने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

(3) ''आरक्षित, अनारक्षित'' सीटों के स्थान पर 10 वर्षों तक चले काउन्सलिंग के वैध क्रम ''अनारक्षित, आरक्षित'' में ही काउन्सलिंग कराने की कृपा करें।

(03) *<u>तहसीलों में अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र प्रक्रिया से संबधित परिपत्र/कार्यालय ज्ञाप उपलब्ध कराने बाबत्।</u>*

मध्यप्रदेश की तहसीलों में अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र प्रक्रिया से संबधित अधिकतर परिपत्र/ज्ञाप उपलब्ध नहीं होने से प्राधिकृत अधिकारी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के मध्य अत्यंत भ्रामक स्थिति है। जैसे कर्मचारियों की क्रीमीलेयर जॉच ''धारित पद'' के स्थान पर ''वेतन की आय'' से की जा रही है, 4.50 लाख रुपये का केन्द्रीय क्रीमीलेयर आदेश तहसीलों में उपलब्ध नहीं है। केन्द्रीय पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल नहीं होने पर भी प्रदेश की 90 जातियों/उपजातियों को विगत 15 वर्षों से केन्द्रीय पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र भी जारी किये जा रहे हैं, इत्यादि।

अतः अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र प्रक्रिया से संबधित राज्य क्रीमीलेयर मापदंड, राज्य पिछड़ा वर्ग सूची, राज्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र का प्रारुप एवं आवेदन पत्र का प्रारुप, केन्द्रीय क्रीमीलेयर मापदंड, केन्द्रीय पिछड़ा वर्ग सूची, केन्द्रीय पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र का प्रारुप आवेदन पत्र का प्रारुप इत्यादि संबंधी समस्त नये/पुराने परिपत्र/कार्यालय ज्ञाप/आदेश कलेक्टर के अतिरिक्त सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल से ही सीधे ''तहसीलों'' में भी प्रेषित करने की व्यवस्था करने की कृपा करें।

(04) व्यापम की नियमावलियों में पोस्ट मेट्रिक ''छात्रवृत्ति'' एवं ''शुल्क माफी'' योजना की जानकारी मुद्रित करने बाबत्।

राज्य सरकार की ओर से रुपये 75000/– वार्षिक से कम आय होने पर निजी व शासकीय इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेन्टल, पॉलीटेकनिक, एम.बी.ए., कृषि, नर्सिंग महाविद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों हेतु पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति एवं सम्पूर्ण शुल्क माफी योजना लागू है। परन्तु जानकारी के अभाव में ग्रामीण व छोटे शहरों के गरीब छात्र शुल्क के भय से इन महाविद्यलयों में प्रवेश ही नहीं लेते।

इस पोस्ट मेट्रिक ''छात्रवृत्ति'' एवं ''शुल्क माफी'' योजना की जानकारी व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) द्वारा विक्रय की जाने वाली इंजीनिरिंग, मेडिकल, पॉलीटेकनिक, एम.बी.ए., कृषि, नर्सिंग की नियमावलियों में ही मुद्रित कराने की कृपा करें।

(05) मध्यप्रदेश के 30 जिलों में ''जिला संवर्ग'' के पदों की नियुक्ति में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 50: की संविधानिक सीमा के भीतर ही बढ़ाने बाबत्।

मध्यप्रदेश के जिला संवर्ग के पदों की नियुक्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में अत्यधिक कम 14 प्रतिशत है। जबकि वर्तमान में मध्यप्रदेश के 30 जिलों में अनुसूचित जाति, जन जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग का कुल आरक्षण मिलाकर 50 प्रतिशत की संविधानिक सीमा से अभी भी कम है।

अतः कम से कम इन 30 जिलों में ''जिला संवर्ग'' के पदों की नियुक्ति में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 50% की संविधानिक सीमा तक बढ़ाने की कृपा करें। जैसे इंदौर जिले में जहॉ ओबीसी की जनसंख्या 62 प्रतिशत है ओबीसी आरक्षण 50% की संविधानिक सीमा के भीतर ही 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 26 प्रतिशत किया जा सकता है।

(06) राज्य क्रीमीलेयर मापदंडों की 55 अनुवाद त्रुटियों के सुधार बाबत्।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के दिनॉक 25.02.2003 को जारी राज्य क्रीमीलेयर मापदंडो में अंग्रेजी से हुई 55 अनुवाद त्रुटियों का सुधार कराने की कृपा करें।

(07) राज्य क्रीमीलेयर मापदंडों के पुनरीक्षण बाबत्।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के दिनॉक 25.02.2003 को जारी राज्य क्रीमीलेयर मापदंडों मे विरोधाभासों को दूर करने के लिये निम्नानुसार पुनरीक्षण करने की कृपा करें।

(1) नियम क्रमॉक 2 (क) (क) में राज्य लोक सेवा आयोग से नियुक्त वर्ग–1 अधिकारियों जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल के सहायक प्राध्यापकों को क्रीमीलेयर न माना जावे।
(2) नियम क्रमॉक 2 (क) (क) में माता–पिता दोनों वर्ग–2 अधिकारी होने पर भी क्रीमीलेयर न माना जावे।
(3) नियम क्रमॉक 2 (क) (ख) में वर्ग–2 अधिकारी के वर्ग–1 में पदोन्नत होने पर उसे पूर्ववत क्रीमीलेयर न माना जावे।
(4) नियम क्रमॉक 2 (ग) में सार्वजनिक उपक्रमों एवं निजी संस्थाओं के कर्मचारियों हेतु पृथक–पृथक वाक्य लिखे जावें।
(5) नियम क्रमॉक 2 (ग) में निजी संस्थाओं के कर्मचारियों हेतु 10 लाख रुपये वार्षिक आय का पृथक मापदंड बनावें।
(6) नियम क्रमॉक 5 में कृषकों हेतु वार्षिक आय के स्थान पर केन्द्रीय क्रीमीलेयर मापदन्डों की ही तरह पूर्ववत **''धारित भूमि''** का ही मापदंड रखा जावे।
(7) नियम क्रमॉक 6 में वार्षिक आय की सीमा 4.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की जावे।

(08) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग में ''अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण प्रकोष्ठ'' की स्थापना बाबत्।

सामान्य प्रशासन विभाग से अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु जारी होने वाले क्रीमीलेयर मापदंड, पिछड़ा वर्ग सूची, जाति प्रमाण पत्र के प्रारुप एवं आवेदन पत्र इत्यादि में असंख्य त्रुटियॉ परिलक्षित होती हैं।

अतः 52 प्रतिशत जनसंख्या वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण की योजनायें सुचारु रुप से लागू करने के लिये अनुसूचित जाति, जन जाति की ही तरह मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल में पृथक ''अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण प्रकोष्ठ'' की स्थापना (सृजन) की जावे। जिसका प्रभारी ''अन्य पिछड़ा वर्ग'' का ही कोई अधिकारी हो।

(9) ''अन्य पिछड़ा वर्ग'' छात्रों के शिक्षण शुल्क का भुगतान प्रतिपूर्ति के स्थान पर अग्रिम भुगतान करने बाबत्।

राज्य सरकार की ओर से रुपये 75000/– वार्षिक से कम आय होने पर निजी व शासकीय इंजीनिरिंग, मेडिकल, डेन्टल, पॉलीटेकनिक, एम.बी.ए., कृषि, नर्सिंग महाविद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों हेतु पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति एवं सम्पूर्ण शुल्क माफी योजना लागू है। परन्तु अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब, होनहार छात्र भारी भरकरम शिक्षण शुल्क की ''अग्रिम व्यवस्था'' के अभाव में इन संस्थाओं में प्रवेश लेने से वंचित रह जाते हैं। गरीबों को बैंक भी ऋण स्वीकृत नहीं करते।

अतः ''अन्य पिछड़ा वर्ग'' के ऐसे पात्र छात्रों से शिक्षण शुल्क पहले लेकर राज्य शासन की ओर से उसकी 3–4 माह बाद प्रतिपूर्ति (रीम्बर्समेन्ट) करने के स्थान पर संबधित निजी शिक्षण संस्थान को काउन्सलिंग स्थल पर ही चेक व्दारा अग्रिम भुगतान करने की कृपा करें।

(10) ''अन्य पिछड़ा वर्ग'' पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति एवं शुल्क माफी योजना की पात्रता सीमा बढ़ाने बाबत्।

राज्य सरकार की ओर से रुपये 75000/– वार्षिक से कम आय होने पर निजी व शासकीय इंजीनिरिंग, मेडिकल, डेन्टल, पॉलीटेकनिक, एम.बी.ए., कृषि, नर्सिंग महाविद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों हेतु पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति एवं सम्पूर्ण शुल्क माफी योजना लागू है। यह वार्षिक आय की पात्रता सीमा अत्यंत कम है।

अतः अनुसूचित जाति, जन जाति की ही तरह अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों की पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति एवं शुल्क माफी हेतु वार्षिक आय पात्रता सीमा रुपये 75000/– से बढ़ाकर रुपये 3 लाख वार्षिक करने की कृपा करें।

(11) *अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी बढ़ाने बाबत्।*

वर्तमान में राज्य शासन की ओर से अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी एक मात्र ''अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)'' है। जो एक अतिव्यस्ततम् अधिकारी है व उसका कार्यालय भी आम ग्रामीण अंचलों से बहुत दूर स्थित होता है।

अतः भारत सरकार की ही तरह अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिये ''तहसीलदार'' एवं ''कार्यपालिक दंडाधिकारी (नायब तहसीलदार)'' को भी प्राधिकृत करने की कृपा करें।

(12) *अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र के बगैर क्रीमीलेयर प्रमाणीकरण वाले सादे प्रारुप की आवश्यकता।*

मध्यप्रदेश शासन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिये घोषित 20 सुविधाओं में से मात्र 2 सुविधाओं यथा नियुक्ति व प्रवेश को छोड़कर शिष्यवृत्ति, छात्रवृत्ति, शुल्क माफी, छात्र गृह योजना, पाठ्य सामग्री प्राप्ति, चयन परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण, सामूहिक विवाह प्रोत्साहन, स्वरोजगार ऋण, व्यावसायिक महाविद्यालयों की प्रवेश परीक्षा की कोचिंग, संघ/राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में सफलता पर प्रोत्साहन राशि, साक्षात्कार के लिये यात्रा व्यय, भूखंड एवं भवनों के आवंटन में आरक्षण, सीधी भरती में उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायतों के निर्वाचनों में आरक्षण, तकनीकी, चिकित्सा, कृषि महाविद्यालयों इत्यादि के छात्रावासों में आरक्षण, सेवारत कर्मचारियों को अन्य पिछड़ा वर्ग होने संबंधी जानकारी प्रस्तुत करने हेतु, भोपाल स्थित ''आई'' श्रेणी से ''एफ'' श्रेणी के आवास आवंटन में 08 प्रतिशत आरक्षण इत्यादि 18 सुविधायें प्राप्त करने के लिये क्रीमीलेयर प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है। फिर भी जाति प्रमाण पत्र जारी करते समय एक जटिल प्रक्रिया के तहत् कक्षा 6 वीं के छात्र से लेकर महापौर पद के प्रत्याशी तक, सभी की क्रीमीलेयर जॉच की जाती है। जिससें कई प्रायोगिक समसयायें उत्पन्न हो रहीं हैं।

अतः क्रीमीलेयर प्रमाणीकरण वाले जाति प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु एक बगैर क्रीमीलेयर प्रमाणीकरण वाला सादा जाति प्रमाण पत्र प्रारुप भी म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल की ओर से जारी कर तहसीलो में प्रेषित करने की कृपा करें।

(13) *मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, जन जाति व अन्य पिछड़े वर्गों को सेवाओं में आरक्षण) अधिनियम क्रमॉक 21 सन् 1994 को शैक्षणिक संस्थाओं पर भी लागू करने बाबत्।*

वर्तमान में नियम कानून के अभाव में राज्य की शिक्षण संस्थाओं के प्रवेश में अनुसूचित जाति, जन जाति व अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण का प्रभावी अमल नहीं हो पा रहा है व आरक्षण नियमों का उल्लंघन आम बात है।

अतः मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, जन जाति व अन्य पिछड़े वर्गों को सेवाओं में आरक्षण) अधिनियम क्रमॉक 21 सन् 1994 को शैक्षणिक संस्थाओं पर भी लागू की कृपा करें।

(14) *द्विस्तरीय/त्रिस्तरीय चयन परीक्षाओं के प्रत्येक स्तर में आरक्षण नियमों का पालन*

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, व्यापम या विभिन्न विभागों व्दारा भर्ती/प्रवेश हेतु आयोजित की जाने वाली चयन प्रक्रिया में ''प्रारंभिक परीक्षा (लिखित), मुख्य परीक्षा (लिखित) व साक्षात्कार'' के प्रत्येक स्तर में अनुसूचित जाति, जन जाति व अन्य पिछड़े वर्गों हेतु लागू आरक्षण नियमों/अधिनियमों के समस्त प्रावधान लागू कराने की कृपा करें। जैसे प्रत्येक (प्राथमिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार) स्तर का परिणाम घोषित करते समय अनारक्षित सीटों में चयनित आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की गणना अनारक्षित सीटों में ही करने व प्रत्येक स्तर में आरक्षित वर्ग का पर्यक्षेक रखने के निर्देश देने की कृपा करें।

(15) अन्य पिछड़े वर्गों हेतु म. प्र.शासन व्दारा लागू 27% आरक्षण आदेश पर उच्च न्यायालय जबलपुर व्दारा लगाई गई रोक हटवाने हेतु न्यायालय में राज्य शासन की ओर से प्रभावी प्रयास कराने की कृपा करें।

(16) आमने–सामने चर्चा कर मध्यप्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों की ज्वलंत समस्याओं के तीव्र निराकरण हेतु आपकी ओर से शासन स्तर पर भोपाल में ''पिछड़ा वर्ग पंचायत'' बुलाने की कृपा करें।

(17) अन्य पिछड़ा वर्ग की दलित–शोषित स्थिति के दृष्टिगत उनके शासकीय कर्मचारियों को भी अनुसूचित जाति, जन जाति की ही तरह पदोन्नति में भी आरक्षण प्रदान करने की कृपा करें।

(18) राज्य में बढ़ते निजीकरण एवं अनुसूचित जाति, जन जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग की दलित–शोषित सामाजिक स्थिति के दृष्टिगत उन्हें निजी संस्थानों की नौकरियों में में भी आरक्षण प्रदान करने की कृपा करें।

(19) अखिल भारतीय अपाक्स पदाधिकारियों को ''राज्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार समिति'' में सदस्य नियुक्त करने की कृपा करें।

(20) मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के 14 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर महाजन आयोग की अनुशंसानुसार 35 प्रतिशत करने एवं क्रीमीलेयर मापदंडो को हटाने की कृपा करें।

(21) सभी श्रेणी के दैनिक वेतन भोगियों का नियमितिकरण, उच्च वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण, छटवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुरुप राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण करने की कृपा करें।

धन्यवाद,

(इंजी. ए. पी. पटेल)
राष्ट्रीय अध्यक्ष–अखिल भारतीय अपाक्स